



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष /Phone: +91-7152-251661

फैक्स /Fax: +91-7152-2309

पत्रांक: 005/2013/DA/01/2014/752

दिनांक: 20. 06. 2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालयादेश क्र.: 005/2013/DA/01/2014/209 दिनांक 20.05.2017 द्वारा हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के पी-एच.डी. शोधार्थी श्री संजीव कुमार (सुपुत्र श्री हरिश्चन्द्र झा) को पी-एच.डी. से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया गया था। साथ ही उक्त अवधि के लिए परिसर में इनका प्रवेश निषिद्ध किया गया, दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत उनकी पी-एच.डी. उपाधि की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा भविष्य में वे विश्वविद्यालय में किसी भी पद के आवेदन हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे संबंधी आदेश जारी किया गया था।

माननीय मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ के आदेश के तारतम्य में श्री संजीव कुमार द्वारा उनका पक्ष कार्य-परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 13.06.2018 में रखा गया। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत शोधार्थी के अकादमिक कैरियर को ध्यान में रखते हुए कार्य-परिषद ने निम्नांकित निर्णय लिया -

1. कार्यालयादेश क्र. : 05/2013/DA/01/2014/209 दिनांक 20.05.2017 के माध्यम से श्री संजीव कुमार को पी-एच.डी. से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया गया था। इसमें 01 वर्ष 23 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है। इसे पर्याप्त दंड माना जाए और शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया जाए।
2. विवर्जित होने के कारण श्री संजीव कुमार का भविष्य में बिना पूर्वानुमति के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
3. श्री संजीव कुमार को भविष्य में विश्वविद्यालय में किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाए।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रति : श्री संजीव कुमार (सुपुत्र श्री हरिश्चन्द्र झा)

ग्राम : रघुनाथपुर बेला, पोस्ट : चकहाजी

जिला : समस्तीपुर -848115 (बिहार)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. कुलानुशासक कार्यालय।
4. अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. स्थापना एवं प्रशासन विभाग।
6. परीक्षा विभाग को कार्य-परिषद के निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, पंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय।
8. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।